




कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह (म.प्र.)

“कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों (संविदा) पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति”

पद का विवरण	आरक्षण की स्थिति	शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं तकनीकी योग्यता	आयु सीमा	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि						
कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर (संविदा) मानदेय:- रु. 22770/- (बाईस हजार सात सौ सत्तर मात्र) प्रतिमाह।	<table border="1"><thead><tr><th>वर्ग</th><th>पद संख्या</th></tr></thead><tbody><tr><td>अनारक्षित</td><td>01</td></tr><tr><td>कुल</td><td>01</td></tr></tbody></table>	वर्ग	पद संख्या	अनारक्षित	01	कुल	01	<ol style="list-style-type: none">शैक्षणिक योग्यता 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।न्यूनतम तकनीकी योग्यता CPCT परीक्षा उत्तीर्ण वैध स्कोर कार्ड सहित।कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण, डाटा फीडिंग, दस्तावेजों की स्केनिंग तथा एम.एस. ऑफिस एवं डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का तीन साल का अनुभव।मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी।	01.01.2023 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक। (शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु में छूट के प्रावधान भी लागू होंगे।)	30/04/2023
वर्ग	पद संख्या									
अनारक्षित	01									
कुल	01									

- आवेदन पत्र **MP Online** के माध्यम से ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे।
- आवेदन की अंतिम तिथि 30/04/2023 है। आवेदन **MP Online** पोर्टल के माध्यम से दिनांक 15/04/2023 से प्रारंभ किये जायेगे।
- आवश्यकतानुसार रिक्त पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- विस्तृत जानकारी, नियुक्ति की शर्तें, चयन प्रक्रिया <https://damoh.nic.in> एवं <https://mponline.gov.in> पर उपलब्ध है।


कलेक्टर
जिला-दमोह



कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह (म.प्र.)

“कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की सामान्य शर्तें”

संविदा अवधि:-

1. संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगी।
2. आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से 35 तक। (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी)
3. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

मानदेय / पारिश्रमिक:-

4. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई मानदेय रु. 22770/- (बाइस हजार सात सौ सत्तर मात्र) देय होगा।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।
6. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

अवकाश:-

7. एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश, 15 दिन का अर्जित अवकाश तथा 10 दिन का लघुकृत अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएंगे। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 90 दिवस का प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए अवकाश नियमों में निर्धारित है। अवकाश का उपभोग जिला, कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृत के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

ई.पी.एफ. कटौती:-

8. ई.पी.एफ. कटौती के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजनस एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।


अन्य:-

9. इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।



कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह (म.प्र.)

10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी। इस अवधि में यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जायेगा।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सके। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जावेगा।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे।
13. अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
14. मध्य प्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।
15. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।


कलेक्टर
जिला-दमोह




कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह (म.प्र.)

“कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों (संविदा) हेतु चयन प्रक्रिया”

पात्र आवेदकों की सूची को सी.पी.सी.टी. के वैध स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी :-

1. सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो।
3. यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो हिन्दी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।
4. हिन्दी टाईपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा।
5. मेरिट में दो आवेदकों को कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी, हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी।

समस्त प्रकार की सूचना दमोह जिले की वेबसाइट <https://damoh.nic.in> एवं <https://mponline.gov.in> पर जारी की जावेगी।


कलेक्टर
जिला-दमोह